निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ 48/बीमा/व्य0एवंप0/2014-15/992-1042 दिनांकः 23.X.2020

—:कार्यालय निर्देशः—

प्रायः यह देखने मे आया है कि राज्य बीमा स्वत्व व ऋण ऑनलाईन सबमिट करने के पश्चात् इस विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा कार्मिक/दावेदार से अनावश्यक रूप से जीए 55 एवं अन्य दस्तावेजों की मॉग की जाती है, इससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल असर होता है। अतः राज्य बीमा स्वत्व एवं ऋण हेतु ऑनलाईन सबमिट के पश्चात् हार्डकापी के साथ निम्न दस्तावेजों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः—

परिपक्वता दावा

1. ऑनलाईन दावा प्रपत्र की हार्डकापी की प्रमाणित प्रति
2. बीमा रेकार्ड बुक नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित
3. जीए 81, पदस्थापन स्थान व अवधि का पूर्ण विवरण
4. मूल बीमा पॉलिसी बॉण्ड (उपलब्ध होने पर)

मृत्यु दावा

1. ऑनलाईन दावा प्रपत्र की हार्डकापी की प्रमाणित प्रति
2. बीमा रेकार्ड बुक नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित
3. मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं सेवा से पृथक करने के आदेश की प्रति
4. जीए 81, पदस्थापन स्थान व अवधि का पूर्ण विवरण
5. मूल बीमा पॉलिसी बॉण्ड (उपलब्ध होने पर)

अध्र्यपण दावा

1. ऑनलाईन दावा प्रपत्र की हार्डकापी की प्रमाणित प्रति
2. बीमा रेकार्ड बुक नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित
3. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति आदेश की सत्यापित प्रति
4. जीए 81, पदस्थापन स्थान व अवधि का पूर्ण विवरण
5. मूल बीमा पॉलिसी बॉण्ड (उपलब्ध होने पर)

बीमा ऋण

1. ऑनलाईन ऋण आवेदन प्रपत्र की हार्डकापी की प्रमाणित प्रति
2. बीमा रेकार्ड बुक नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित
3. पूर्व ऋण/ऋण ब्याज कटौति का पूर्ण एवं प्रमाणित विवरण
4. मूल बीमा पॉलिसी बॉण्ड अनिवार्य रूप से

इसके अतिरिक्त कार्मिकों से अनावश्यक जीए 55ए की मॉग नही की जावे। ऑनलाईन कटौति मे अन्तर आने पर संबंधित अवधि का जीए 55ए की ही मॉग की जावें। जिन प्रकरणों मे चालान से जमा करवाई गई राशि एवं ऑनलाईन प्रदर्शित/रिकार्ड बुक की राशि मे अन्तर पाये जाने पर उस अवधि के चालान/कटौती पत्र की मॉग की जावें।

निर्देशों की सख्त पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

क्रमांक एफ 48 / बीमा / व्य0एवंप0 / 2014–15 / 992-1042 दिनांकः 23.X.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक सिस्टम मुख्यालय जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय
4. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, समस्त जिला कार्यालय ।
5. रक्षित पत्रावली।

23.10.2020

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।